तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) घीसाराम बनाम नाथूराम हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा ([illegible]) प्र.नं.- 47/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12.09.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम अप्रार्थीगण सं. 6 को स्वीकार किये जाने हेतु वकील अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। अतः वकील अप्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम अप्रार्थीगण सं. 6 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण सं. 6 के वारिसान् 6/1 से 6/8 अप्रार्थीगण को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील प्रार्थीगण संशोधित शीर्षक प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश करें। प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 25.9.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
25.09.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि हम 02.09.2024 को न्यायालय में उपस्थित थे परन्तु उक्त वादपत्र व प्रार्थना पत्र टी.आई. दिनांक 04.09.2024 को वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुए है। मूल वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 22.05.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी थी तब से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। मेरा दावा उदघोषणा का होने से मेरे हक प्रभावित हो रहे है। अतः ऐसी स्थिति में वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र [illegible] पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को पुनः [illegible] निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि उनको वादपत्र के अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी कब व कैसे प्राप्त हुई। वादपत्र के दिनांक 04.09.2023 को अदम हाजरी में खारिज होने के उपरान्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.10.15 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested

-लगातार-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रुघाराम बनाम नानू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा (वाजदायरी) मु.नं. 45/2024	

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.05.2024 को मियाद अवधि 30 दिवस खत्म होने के उपरान्त वाजदायरी पेश की गई है। [illegible] अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व दिनांक 04.09.2023 की अधिवक्ता डायरी की प्रति भी पेश नही की है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी के साथ मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नही करने से इस वाजदायरी को स्वीकार किये जाने का कोई आधार नही होने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी को खारिज फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस मे किया है।

हमने बहस वकुलाय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर गौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के दिनांक 04.09.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय में देरीना दिनाक 14.05.2024 को पेश की गई है। जिसमें मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र डिले कन्डोन किये जाने बाबत पेश नहीं किया जाना प्रकट होता है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल वादपत्र व मूल प्रार्थना पत्र टी.आई. में प्रतिवादीगण व अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 22.05.2012 को ही एकपक्षीय कार्यवाही भी हो चुकी थी। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता वाजदायरी प्रार्थना पत्र में ही उपस्थित आये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र अचल सम्पत्ति का होकर उद्घोषणा से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण वादीगण का ही होता है। मूल वादपत्र के अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए कोस्ट रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा मूल वादपत्र उनवानी रूघाराम बनाम नानू वगै० को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। उक्त दावा को पुनः दर्ज रजिस्टर कि[illegible] पक्षकारान वादपत्र में नियमित सुनवाई हेतु [illegible] 10.10.2024 को पेश हो। प्रार्थना पत्र वाजदायरी [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.10.15 11:44:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)